संख्या–979/XXVII (3)पे/2004

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डें
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयध्यक्ष
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 10 अगस्त, 2004

विषयः–सेवानैवृत्तिक लाभ का समय से भुगतान, न्यायिक/विभागीय कार्यवाही की समाप्ति पर ग्रेच्यूटी के विलम्ब से अदायगी के भुगतान पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को अनुमन्य देयों का भुगतान समय से करने के सम्बन्ध में समय–समय पर विस्तृत आदेश निर्गत किए गये है । प्रशासनिक कारणों से "ग्रेच्यूटी" की अनुमन्य धनराशि के समय से भुगतान न होने पर भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद ब्याज दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–सा–3–684/दस–971/80 दिनांक29.04.1983,शासनादेश संख्या–सा –3–1776/दस–971/80 दिनांक 30–11–1984 शासनादेश संख्या –सा–3–2102/दस–971/80 दिनांक 06–12–1994 एवं अर्दशासकीय पत्र संख्या–सा–3–902/ दस–99–303/99 दिनांक 28–9–1999 द्वारा निर्देश निर्गत किए गये हैं ।

2. शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि प्रायः कर्मचारियों द्वारा ग्रेच्यूटी के भुगतान में विलम्ब होने पर चकवृद्वि ब्याज दिये जाने की मांग की जाती है । उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेच्यूटी पर ब्याज के भुगतान की दर वही रखी गई है जो संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की हो, किन्तु चकवृद्वि ब्याज दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः ग्रेच्यूटी पर तीन माह से अधिक विलम्ब पर भुगतान की अवधि में नियमानुसार साधारण ब्याज का ही भुगतान अनुमन्य होगा और उसकी दर संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर अनुमन्य ब्याज की दर के समान होगी।

3. जिन कर्मचारियों के विरूद्व न्यायिक/विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण उपादान एवं राशिकृत धनराशि के भुगतान में बिलम्ब हो जाता है, उन प्रकरणों में ब्याज किस प्रकार अनुमन्य होगा, इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोरान्त मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है किः–

(1) यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्व अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उसे ग्रेच्यूटी की धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाता है, जब तक उक्त कार्यवाही समाप्त करके अन्तिम आदेश निर्गत नहीं हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में यदि ग्रेच्यूटी के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो भुगतान की तिथि वही होगी जिस तिथि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैं। जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक के विरूद्व चल रही कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप उसे पूर्णतः दोषमुक्त किया जाता है, उन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति की तिथि से ग्रेच्यूटी की अनुमन्यता मानी जायेगी और ऐसे तीन

माह से अधिक के विलम्ब की अवधि हेतु ब्याज अनुमन्य हो जायेगा। परन्तु जिन प्रकरणों में विभागीय/न्यायिक कार्यवाही चलते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तथा मात्र मृत्यु के कारण विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त की जाती है, ऐसे प्रकरणों में ब्याज अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उपरोक्त व्यवस्था केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जो अभी तक निर्णीत नहीं हो सके है, परन्तु जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुर्नउद्घाटित नहीं किया जायेगा।

(3) सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सेवानिवृत्ति की तिथि को ही निर्गत किए जाने के प्राविधान है तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासनादेश भी निर्गत किए गये हैं। सेवानैवृत्तिक लाभों को समय से भुगतान करने के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उत्तरांचल पेन्शन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) उत्तरांचल नियमावली, 2003 अधिसूचना संख्या–1033/वित्त अनु0–4/2003, दिनांक 10 नवम्बर, 2003 को निर्गत की जा चुकी है। उक्त नियमावली में पेन्शन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सारणी भी निर्धारित है तथा विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्व दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश निर्गत किए जॉय तथा यदि पेन्शन निर्धारण में विलम्ब की सम्भावना हो तो उस स्थिति में अनन्तिम पेन्शन का भुगतान किया जाय। यदि सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि को नहीं हो सके तो उसकी जानकारी भुगतानादेश निर्गत न हो जाने के कारणों सहित उच्चत्तर अधिकारी को दिया जाना अपेक्षित होगा, जो पेन्शन प्रकरण का सीधे निस्तारण सुनिश्चित करेंगें।

4. यदि प्रशासनिक कारणों से ग्रेच्यूटी का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह बाद किया जाता है तो भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह के अवधि के बाद से निर्धारित दर पर ब्याज दिया जायेगा। यदि यह निर्णीत हो जाता है कि ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जाना है तो इसका भुगतान तुरन्त कर दिया जाय और ब्याज की मद पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जाय। ऐसा करने से ब्याज की मद में दी जाने वाली धनराशि में बचत की जा सकेगी। परन्तु यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जायेगा जहॉ यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्यूटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हो । ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जायेगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जायेगा। जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गई धनराशि की वसूली दोषी व्यक्तियों से उनके वेतन के अनुपात में की जाये।

5. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा अपनी पेन्शन के एक भाग के राशिकरण की धनराशि को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर यदि ब्याज की मांग करते हैं तब ऐसे प्रकरणों हेतु स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अधीन देय धनराशि को विलम्ब से भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं है, क्योंकि पेन्शन के एक भाग की राशिकृत मूल्य की स्वीकृति हो जाने पर भी उसके भुगतान की तिथि तक पेन्शन एवं देय मंहगाई राहत का भुगतान होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी की

सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्व विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उस कार्यवाही के लम्बित रहते पेन्शन के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा।

कृपया उपरोक्त प्रस्तरों में स्पष्ट की गयी स्थिति का कढाई से अनुपालन सुनिशिचित किया जाय।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या–979/**Xxvll** (3) पे/2004, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23 लक्ष्मीरोड, देहरादून।
2. निदेशक, पेन्शन एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय भवन,माजरा,देहरादून.
4. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तरांचल।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7. विधान सभा, सचिवालय ।
8. राज्यपाल सचिवालय ।
9. गार्ड फाईल।
10. निदेशक एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर देहरादून

आज्ञा से

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त